भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 864
जिसका उत्तर बुधवार, 07 फरवरी,2018 को दिया जाना है

विधिक शुल्क का विनियमन

864. श्री हरि मांझी :

श्री विष्णु दयाल राम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में संघ/राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं को दिए जा रहे विधिक शुल्क के विनियमन हेतु निर्धारित मापदण्ड क्या हैं और इस संबंध में प्रस्तावित विधिक शुल्क की वर्तमान दर कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान न्यायालय और मामला-वार संघ/राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के लिए विधिक शुल्क के रूप में दी गई कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों हेतु मामलों में प्रतिनिधित्व हेतु एक अनिवार्य समर्पित न्यायिक प्रकोष्ठ तैयार करने का है;और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क): केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न अधिसूचनाओं और कार्यालय ज्ञापनों द्वारा केन्द्रीय सरकार काउंसेलों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए कार्य की प्रकृति और न्यायालय/अधिकरण के प्रकार अर्थात् उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधिनस्थ न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण, माध्यस्थम् अधिकरण आदि के आधार पर फीस की दर विहित की है । केन्द्रीय सरकार काउंसेलों के विभिन्न प्रवर्गों को संदत्त फीस कार्यालय ज्ञापन संख्यांक 26(1)/2014ज्यूडिशल, तारीख 1 अक्तुबर, 2015 **(उपाबंध क)** द्वारा पुनरीक्षित की गई थी । राज्य सरकार के लिए लगाए गए वकीलों की फीस के संदाय के संबंध में यह कथन किया जाता है कि राज्य सरकारें मामलों की प्रतिरक्षा के लिए उनके अपने कोष से अपने आप प्रबंध करती हैं ।

(ख): निम्नलिखित सारणी, पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष (31.1.2018 तक) इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को संदत्त विधिक फीस की कुल रकम दर्शित करती है:

(आंकडे करोड़ में)

लेखा-शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	वास्तविक 31.1.2018 तक (अनंतिम)
विधि सलाहकार और काउंसेल	28.46	42.78	51.23	54.37

ऐसे मामलों में जहां केन्द्रीय सरकार काउंसेलों की सेवाएं अन्य विभागों/मंत्रालयों द्वारा प्राप्त की जाती हैं वहां संबद्ध विभागों /मंत्रालयों द्वारा जो उन्हें इस मंत्रालय द्वारा विहित फीस के अनुसार लगाते हैं, मामलावार फीस संदत्त की जाती है। तथापि, इस मंत्रालय के पास ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वकीलों को संदत्त विधिक फीस के संबंध में, न्यायालय/मामला-वार, ऐसा कोई आंकड़ा इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ): न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार के मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष रूप से विधिक प्रकोष्ठ के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार के संबंध में इस मंत्रालय के पास ऐसे कोई ब्यौरे नहीं हैं।

****

उपाबंध-क

सं. 26(1)/2014-न्या.
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
न्यायिक अनुभाग
....

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभिन्न प्रवर्गों के केंद्रीय सरकारी काउंसेलों को देय फीस में संशोधन।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने इस विभाग के समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न कार्यालय-ज्ञापनों में आंशिक संशोधन करते हुए, सभी प्रवर्गों के सरकारी काउंसेलों को देय फीस की दरों में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन करने का अनुमोदन किया है:-

(क)

उच्चतम न्यायालय में समूह 'क', 'ख' और 'ग' पैनल काउंसेलों के लिए लागू फीस:-

क्र.सं.	**कार्य की मद**	**संशोधित फीस समूह 'क' पैनल काउंसेल**	**संशोधित फीस समूह 'ख' और 'ग' पैनल काउंसेल**
1.	सभी नियमित अपीलें और प्रतिवादित रिट याचिकाएं (अंतिम सुनवाई के लिए)	रु. 13 ,500/- प्रति मामला प्रतिदिन	रु. 9 ,000/- प्रति मामला प्रतिदिन
2.	सभी प्रतिवादित मामलों के ग्रहण किए जाने संबंधी कार्रवाई (एसएलपी/टीपी और रिट याचिकाएं तथा अन्य विविध मामले)	रु. 9 ,000/- प्रति मामला प्रतिदिन	रु. 4 ,500/- प्रति मामला प्रतिदिन
3.	अभिवचन निर्धारित करना	रु. 5,250/- प्रति मामला	--
4.	विविध आवेदनों में उपस्थिति	रु. 4,500/- प्रति मामला	--
5.	कान्फ्रेंस	रु. 900/- प्रति कान्फ्रेंस	--
6.	मुख्यालय से बाहर	रु. 13 ,500/- प्रतिदिन की फीस, मुख्यालय से उसकी अनुपस्थिति के दिनों के लिए	रु. 9,000/- प्रतिदिन की फीस, मुख्यालय से उसकी अनुपस्थिति के दिनों के लिए
7.	मुख्यालय से बाहर स्थानीय यात्रा करने के लिए वाहन प्रभार	रु. 1,500/-	रु. 1,500/-
8.	लिखाई (कुलर्केज)	शून्य	शून्य
9.	एस.एल.पी./प्रति शपथपत्र/प्रत्युत्तर आदि का मसौदा बनाना	--	रु. 3,000/- प्रति मामला
10.	लिखित निवेदन तैयार करना	--	रु. 3,000/- प्रति मामला
11.	विविध आवेदनों का मसौदा बनाना या उनमें हाजिर होना (इसमें मामले/केवियट/निकासी का उल्लेख करना/सुनवाई के लिए तारीख और नंबर प्राप्त करना भी शामिल है)	--	रु. 3,000/- प्रति मामला

उच्चतम न्यायालय के समूह 'क', 'ख' और 'ग' के पैनल काउंसेलों के लिए दिनांक 01.10.2011 के का.ज्ञा. सं. 21(05)/2011-न्या. के साथ पठित दिनांक 24.09.1999 के संशोधन-पूर्व के का.ज्ञा.सं. 21(04)/1999-

न्या. में निहित सभी अन्य निबंधन व शर्तेंलागू रहेंगी बशर्ते उन्हें विशेष तौर पर रद्द/संशोधित न किया गया हो।

(ख)

विभिन्न उच्च न्यायालयों/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पीठों (बंबई और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों को छोड़कर) के वरिष्ठ पैनल काउंसेलों के लिए लागू फीस:

क्र.सं.	कार्य की मद	संशोधित फीस
1.	वाद, रिट याचिकाएं और अपीलें, जिनमें रिट याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए अनुमति हेतु मौखिक आवेदन भी शामिल हैं।	**रु. 9,000/-** प्रति मामला प्रतिदिन, वास्तविक सुनवाई के लिए तथा गैर-वास्तविक सुनवाई के लिए **रु. 1500/-** प्रतिदिन, अधिकतम पांच सुनवाइयों के अध्यधीन
2.	रिट याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय में अपील की अनुमति के लिए आवेदन	**रु. 3,000/-** प्रति मामला
3.	अभिवचनों का निर्धारण करना	**रु. 3,000/-** प्रति मामला
4.	विविध आवेदन	**रु. 3,000/-** प्रति मामला
5.	कांफ्रेंस	**रु. 900/-** प्रति कांफ्रेंस , निम्नलिखित के अध्यधीन: (i) अभिवचनों का निर्धारण करने के लिए – एक कांफ्रेंस (ii) रिट मामलों, वादों, अपीलों और उच्चतम न्यायालय की अनुमति के लिए आवेदनों आदि की सुनवाई के संबंध में – तीन कांफ्रेंस (अधिकतम)
6.	विविध खर्च और जेब से किया गया खर्च	वास्तविक खर्च, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के संतुष्टि के अनुसार।

विभिन्न उच्च न्यायालयों/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पीठों (बम्बई और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों को छोड़कर) के वरिष्ठ पैनल काउंसेलों के लिए इस विभाग के दिनांक 1.10.2011 के का.ज्ञा. सं. 26(1)/2011-न्या. के साथ पठित दिनांक 24.09.1999 के का.ज्ञा. सं. 24(2)/99- न्या., का.ज्ञा.सं. 26(1)/99-न्या., का.ज्ञा.सं. 25(3)/99- न्या. तथा का.ज्ञा.सं. 26(2)/99- न्या. में निहित सभी अन्य निबंधन एवं शर्तें लागू रहेंगी जब तक कि उन्हें विशेष तौर पर रद्द/ संशोधित न किया गया हो।

(ग)

उच्च न्यायालयों के तथा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मुंबई और कोलकाता के पीठों के पैनल काउंसेलों के लिए लागू फीस में संशोधन

क्र. सं.	कार्य की मद	विशेष काउंसेल	वरिष्ठ काउंसेल समूह-I	वरिष्ठ काउंसेल समूह-II	कनिष्ठ काउंसेल एडवोकेट ऑन रिकार्ड
1.	उच्च न्यायालय में विशेष सिविल आवेदन सहित वाद, अपीलें, रिट/पुनरीक्षण याचिकाएं	रु. 9,000/-	रु. 6,000/-	रु. 3,750/-	रु. 1,800/-
	प्रति कांफ्रेंस/परामर्श	रु. 900/-	रु. 750/-	रु. 600/-	रु. 450/-

2.	अंतरिम प्रस्तावों, नोटिसों, अपीलों, अनुमति के आवेदन, माध्यस्थम, कंपनी के मामलों, दांडिक पुनरीक्षण तथा अन्य भू-अर्जन निर्देशों सहित आवेदन (प्रतिदिन प्रति वास्तविक सुनवाई) प्रति कांफ्रेंस /परामर्श	रु. 3,000/- रु. 900/-	रु. 3,000/- रु. 750/-	रु. 2,250/- रु. 600/-	रु. 1,350/- रु. 450/-
3.	अभिवचनों और शपथपत्रों का मसौदा बनाना या उनका निर्धारण करना (प्रति अभिवचन) प्रति कांफ्रेंस /परामर्श	रु. 3,000/- रु. 900/-	रु. 1,800/- रु. 750/-	रु. 1,500/- रु. 600/-	रु. 1,050/- रु. 450/-
4	उच्च न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालयों और माध्यस्थम तथा अधिकरणों आदि के समक्ष उपस्थिति (प्रतिदिन प्रति वास्तविक सुनवाई) प्रति कांफ्रेंस /परामर्श	रु. 7,500/- रु. 900/-	रु. 6,000/- रु. 750/-	रु. 3,750/- रु. 600/-	रु. 2,250/- रु. 450/-
5.	चैम्बर आवेदन जिनमें स्थगन आवेदन शामिल हैं, प्रतिदिन, परामर्श सहित	शून्य	रु. 1,500/-	रु. 900/-	रु. 600/-
6.	लिखित राय तथा लिखित सलाह, जिसमें साक्ष्य पर सलाह शामिल है (परामर्श सहित)	रु. 3,750/-	रु. 2,250/-	रु. 1,350/-	रु. 1,050/-

उच्च न्यायालयों के काउंसेलों तथा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मुंबई और कोलकाता के पीठों के काउंसेलों के लिए दिनांक 1 अक्तूबर, 2011के का.ज्ञा. सं. 23(2)/2001-न्या. के साथ पठित 14 जुलाई, 2001 के का.ज्ञा. सं. 22(2)/2001 तथा संशोधन-पूर्व के का.ज्ञा. सं. 23(2)/2001-न्या. में निहित सभी अन्य निबंधन और शर्तें लागू रहेंगी जब तक कि उन्हें विशेष रूप से रद्द/संशोधित न किया गया हो।

नोट:- विशेष काउंसेल के मामले में कांफ्रेंसों/परामर्शों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। तथापि, अन्य प्रवर्गों के काउंसेलों के मामले में, प्रति मामला कांफ्रेंसों की संख्या चार (शाखा सचिवालय, मुम्बई/कोलकाता के प्रभारी (मुकदमा) के विवेकानुसार छह तक शिथिलनीय) तक सीमित रहेगी।

(घ)

<u>सहायक महासालिसिटरों, केंद्रीय सरकारी स्थायी काउंसेल/पैनल काउंसेल, दिल्ली उच्च न्यायालय/विभिन्न उच्च न्यायालयों के केंद्रीय सरकारी काउंसेलों (केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के विभिन्न पीठों के पैनल काउंसेलों सहित तथा बंबई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों को छोड़ कर) के लिए लागू फीस:</u>

क्र.सं.	कार्य की मद	संशोधित फीस
1.	रिटेनर फीस	रु. 9,000/- प्रतिमाह
2.	संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अधीन सिविल या दांडिक रिट याचिकाएं, अवमानना याचिकाएं, दांडिक/सिविल पुनरीक्षण याचिकाएं, विक्रय कर अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय को निर्देश तथा बैंकिंग कंपनी याचिकाएं	रु. 2,250/- प्रति वास्तविक सुनवाई रु. 450/- प्रति गैर-वास्तविक सुनवाई (एक मामले में अधिकतम पांच सुनवाइयों के अध्यधीन)
3.	सिविल या दांडिक मामलों में संविधान के अनुच्छेद 132 या 133 के अधीन याचिकाएं	रु. 2 ,250/- प्रति वास्तविक सुनवाई (एक मामले में अधिकतम रु. 4,500/- के अध्यधीन)
4.	मूल वादों, वादों और कार्यवाहियों में डिक्रियों से सिविल अपील, जिनमें द्वितीय अपील और भूमि अर्जन अपीलें भी शामिल हैं लेकिन संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिकाओं से एलपीए को छोड़कर (मसौदा बनाने की फीस सहित)	मूल्यानुसार/विनियमन फीस (एक मामले में अधिकतम रु. 45 ,000/- के अध्यधीन)
5.	कंपनी याचिकाएं	कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959के परिशिष्ट (iii) में निहित नियम द्वारा विनियमित की जाएगी।
6.	अभिवचनों/प्रति शपथपत्रों/रिटर्न/रिट याचिकाओं के उत्तर/अपील के आधार और उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के आवेदन का मसौदा बनाना	रु. 1,350/- प्रति अभिवचन
7.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन तथा न्यायालय की अवमानना कार्यवाहियों और मूल प्रकृति की अन्य कार्यवाहियों में याचिकाओं के विविध सिविल आवेदनों का मसौदा बनाना	रु. 1,125/- प्रति याचिका
8.	विविध सिविल याचिकाएं, फार्मा पापर्स, स्थानांतरण याचिकाएं तथा नेमी प्रकार की अन्य विविध सिविल याचिकाएं	रु. 450/- प्रति याचिका
9.	परामर्श/कांफ्रेंस फीस	रु. 450/- प्रति कांफ्रेंस (एक मामले में अधिकतम 4 कांफ्रेंसों के अध्यधीन)
10.	माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 और 37 के अधीन आवेदन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना मध्यस्थ/अधिनिर्णायक आदि के समक्ष उपस्थित होना	रु. 2 ,250/- प्रति वास्तविक सुनवाई के लिए रु. 450/- प्रति गैर-वास्तविक सुनवाई (एक मामले में अधिकतम 5 सुनवाइयों के अध्यधीन) रु. 450/- प्रति गैर-वास्तविक सुनवाई (एक मामले में अधिकतम 5 सुनवाइयों के अध्यधीन)

उपरिलिखित काउंसेलों के लिए इस विभाग के दिनांक 31.01.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 26(1)/2005-न्यायिक और दिनांक 01.09.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 26(01)/न्यायिक के साथ पठित दिनांक 24.09.99 के सभी कार्यालय ज्ञापन सं. 24(2)/99-न्यायिक, का. ज्ञा. सं. 26(1)/99-न्यायिक, का.

ज्ञा. सं. 25(3)/99-न्यायिक और का. ज्ञा. सं. 26(2)/99-न्यायिक में निहित सभी अन्य निबंधन व शर्तें लागू रहेंगी, जब तक कि उन्हें विशेष रूप से रद्द /संशोधित न किया गया हो।

(ड.)

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में स्थायी सरकारी काउंसेल और अपर स्थायी सरकारी काउंसेल को देय फीस

क्र.सं.	कार्य की मद	संशोधित फीस
1.	स्थायी सरकारी काउंसेल के लिए रिटेनर फीस	रु. 6,000/- प्रतिमाह
2.	वास्तविक सुनवाई के लिए फीस	रु. 1,800/- प्रतिदिन
3.	गैर-वास्तविक सुनवाई के लिए फीस	रु. 600/- प्रतिदिन (एक मामले में ऐसी 5 से अनधिक सुनवाइयां)
4.	लिखित कथन, अपील के आधार आदि के मसौदे तैयार करने की फीस	रु. 1,500/- प्रति अभिवचन
5.	विविध प्रकृति के अन्य अभिवचनों के मसौदे तैयार करने की फीस	रु. 600/- प्रति अभिवचन
6.	कांफ्रेंस की फीस (प्रति कांफ्रेंस)	रु. 900/- (एक मामले में/समान मामलों के समूह के लिए ऐसी अधिकतम 5 कांफ्रेंसें)
7.	मुख्यालय से बाहर के लिए दैनिक फीस	रु. 2700/- प्रतिदिन
8.	मुख्यालय के बाहर स्थानीय यात्रा के लिए सवारी प्रभार	रु. 900/- (एकमुश्त)
9.	होटलों में रूकने का खर्च	रु. 1,800/- प्रतिदिन
10.	लिखाई (क्लर्केज)	विविध खर्च और जेब से किए गए खर्च को छोड़कर कुल फीस का 10 प्रतिशत (एक मामले में अधिकतम रु. 5,250/-)
11.	समान मामलों के लिए फीस	प्रथम मामले में पूरी फीस और संबद्ध मामलों के लिए रु. 750/- प्रति मुकदमा (अधिकतम 3 मामलों के लिए)
12.	विविध खर्च और जेब से किया गया खर्च	वास्तविक खर्च, प्रशासनिक विभाग की संतुष्टि के अनुसार

उपरिलिखित काउंसेलों के लिए इस विभाग के दिनांक 01.09.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 27(25)/2011-न्या. के साथ पठित दिनांक 24.09.1999 के कार्यालय ज्ञापन सं. 27(11)/1999-न्या. में निहित सभी अन्य निबंधन व शर्तें लागू रहेंगी जब तक कि उन्हें विशेष रूप से रद्द/संशोधित न किया गया हो।

(च)

वरिष्ठ/कनिष्ठ माध्यस्थम पैनल काउंसेलों को देय फीस

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित संशोधित फीस
1.	वास्तविक सुनवाई के लिए फीस वरिष्ठ काउंसेल कनिष्ठ काउंसेल	रु. 2,250/- प्रति उपस्थिति रु. 1,500/- प्रति उपस्थिति
2.	गैर-वास्तविक सुनवाई के लिए फीस वरिष्ठ काउंसेल कनिष्ठ काउंसेल	रु. 450/- प्रति उपस्थिति रु. 300/- प्रति उपस्थिति (अधिकतम ऐसी 4 सुनवाइयों के लिए)
3.	अभिवचनों के मसौदे तैयार करने के लिए वरिष्ठ काउंसेल कनिष्ठ काउंसेल	रु. 1,500/- प्रति अभिवचन रु. 750/- प्रति अभिवचन

4.	कांफ्रेंस के लिए फीस वरिष्ठ काउंसेल कनिष्ठ काउंसेल	रु. 450/- प्रति कांफ्रेंस रु. 300/- प्रति कांफ्रेंस (एक मामले में ऐसी अधिकतम 3 कांफ्रेंसें)
5.	मुख्यालय से बाहर के लिए दैनिक फीस वरिष्ठ काउंसेल कनिष्ठ काउंसेल	 रु. 3,000/- प्रति दिन रु. 2,250/- प्रति दिन

दिनांक 31.01.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 26(1)/2005- न्यायिक के साथ पठित दिनांक 24.09.99 के कार्यालय ज्ञापन सं. 30(3)/99-न्यायिक में निहित सभी अन्य निबंधन और शर्तें लागू रहेंगी जब तक कि उन्हें विशेष रूप से रद्द/संशोधित न किया गया हो।

2. उपर्युक्त संशोधित फीस दिनांक 01.10.2015 से लागू होगी।

3. काउंसेलों को दिनांक 01.10.2015 से पहले न्यायालय आदि में उनकी उपस्थिति तथा उस समय उनके द्वारा किए गए अन्य कार्यों के लिए पुरानी दरों पर फीस अदा की जाएगी और दिनांक 01.10.2015 को और उसके बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए संशोधित दरें लागू होंगी।

4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ई-II(ख) शाखा के दिनांक 02.03.2015 और दिनांक 07.08.2015 के आईडी नोट संख्या 9(11)/99- ई-II(ख) के तहत उनके अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता/-

(सुरेश चन्द्र)

संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

दूरभाष सं. 23387806

<u>प्रतिलिपि प्रेषित</u>:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. प्रभारी, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग, मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग, मुकदमा (निम्न न्या.) अनुभाग। उच्चतम न्यायालय के सभी समूह- क,ख और ग पैनल काउंसेलों को प्रभारी, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से।
3. उच्च न्यायालयों/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सभी वरिष्ठ पैनल काउंसेलों को, उच्च न्यायालयों में संबंधित सहायक महासालिसिटरों/ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पीठों के वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी स्थायी काउंसेलों के माध्यम से।
4. विभिन्न उच्च न्यायालयों में सभी सहायक महासालिसिटर/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पीठों के वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी स्थायी काउंसेल।
5. सभी केंद्रीय सरकारी स्थायी काउंसेल/दिल्ली उच्च न्यायालय के केंद्रीय सरकारी प्लीडर।
6. सभी सहायक महासालिसिटर/विभिन्न उच्च न्यायालयों के केंद्रीय विधि सलाहकार।
7. सभी वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी स्थायी काउंसेल/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के विभिन्न पीठों के अपर केंद्रीय सरकारी स्थायी काउंसेल।
8. विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में सभी स्थायी सरकारी काउंसेल और अपर स्थायी सरकारी काउंसेल (सूची के अनुसार)
9. माध्यस्थम पैनल के सभी वरिष्ठ/कनिष्ठ काउंसेल।
10. शाखा सचिवालय, मुम्बई और कोलकाता के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से उच्च न्यायालयों के और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मुम्बई और कोलकाता पीठ के सभी विशेष काउंसेल, वरिष्ठ काउंसेल समूह-I, वरिष्ठ काउंसेल समूह-II और कनिष्ठ काउंसेल।
11. प्रभारी, शाखा सचिवालय, मुम्बई/कोलकाता/चेन्नै/बंगलूरू।
12. विधि कार्य विभाग के सभी अनुभाग।
13. विधि सलाहकार, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
14. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एटी अनुभाग), नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
15. संयुक्त सचिव (विधि), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
16. सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
17. शाखा सचिवालय, मुम्बई/कोलकाता/चेन्नै/बंगलूरू।
18. शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
19. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 02.03.2015 और 07.08.2015 के आईडी नोट सं. 9(11)/99-ई.II(ख) के संदर्भ में।
20. पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली।
21. एनआईसी सेल को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
22. न्यायिक अनुभाग, 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
23. राजभाषा एकक (वि.का.)

हस्ता/-
(मधूलिका उपाध्याय)
कनिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता
दूरभाष: 23389006